

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (पाली)

तारीख व.दि. बनाम ...

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या 190 / सन् 2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

वकील वादी उपस्थित।

वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 80(2) RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 9/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (पाली)

1240
28/11/25

प्रवाबली जेस डी इति. उप. /
प्रति सं. 01 में वाद वाद आबाली मिलाई करे,
बाबत (नम्बर तामिल) मुक्त के काठ मड. रठके
इन्हे विरुद्ध ल. जकील कार्यावाही की जाती है। पत्रा
वादी प्रवाब दाख करवाये जेसके सं. 03/3/25
में पेश है।

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

वकील प्रव गरी इस प्रवाबली तलब कर वाद विरुद्ध रजिस्ट्र करे कउ प्रपुस जेस करे है प्रवाब काठ पेश करे।

प्रपुस जेस किज कि इस वाद पर विचारवाही करे जादीगण लगे प्रति है आपड है रानीगण है जाते है जादीगण इस वाद है अउते नरीचलाक जेसके है वादपत्र के जरिये विरुद्ध रजिस्ट्र करवाये। लगे है। अउ जादीगण क वाद जरिये विरुद्ध रजिस्ट्र किज जाऊ है। पत्रा. केपल रठके सं. 03/3/25 को पेश है। वकील वादी कारिजल दखल करेवा। मुक्त पत्र है।

(मंत्रिगण RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)

पावती
तनिय